


फ़र्द अहकाम

माल्य उपखण्ड अधिकारी चण्ड
 बनाम पद्माद
 दमा संख्या / वर्ष : २०३ / २०२५

i.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	२२/६/२५	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्राची (प.ग.) अपराधीगण को सम्मन जारी करने के लिए एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अपने तालीम पोस्टल प्राप्त नहीं। अतः तामील सम्मन जारी नहीं है। सम्मन तामील के उपरांत अपराधीगण जारी नहीं। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वदत वकील प्राची श्री सुब्बे व पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत अन्तरिम आदेश दिनांक १५/६/२५ को तालीमलावाद कन्फर्म किया जाता है।</p> <p>पत्रावली के ताल श्रुकार दोहरा दर्ज नम्बर से करण है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी चाण्ड (जयपुर) </p>	